विचार बिन्दु

असत्य फूस के ढेर की तरह है। सत्य की एक चिनगारी भी उसे भस्म कर देती है।-हरिभाऊ उपाध्याय

देश का माहौल बदल रहा है

गत चार माह से देश के सामाजिक और राजनीतिक वातावरण में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। 10-12 सालों से लगने लगा था कि देश अधिनायकवाद और तानाशाही की ओर धीरे-धीरे अग्रसर हो रहा है । लोग, सरकार की नीतियों के विरुद्ध बोलने में डरने लगे थे । जो कोई भी साहस करके सरकार के विरुद्ध कुछ भी बोलता, चाहे वह स्टैंड अप कॉमेडियन हो, शिक्षा विद हो, साहित्यकार हो या कलाकार ही क्यों न हो, उसकी आवाज को दबाने के लिए सरकार अपनी एजेंसियों को उनके पीछे छोड़ते हुई देखी गई। आई टी, ई डी और सी बी आई इस कार्य में सबसे अग्रणी रहीं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसी छवि बन गई कि देश में स्वतंत्र मत को व्यक्त करना कठिन होता जा रहा था। यह सब लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं थे ।

जब सब कुछ निराशाजनक दिखाई दे रहा था, तभी एक छोटी सी घटना ने वातावरण को बदलने की दिशा में पहला कदम उठाया। एक केस की सुनवाई में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 15 मई, 2026 को युवाओं को कॉकरोच की संज्ञा दे दी। इसी को आधार बनाकर अमेरिका में बैठे अभिजीत दीपके ने 16 मई, 2026 को "कॉकरोच जनता पार्टी" का गठन कर लिया। इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक सप्ताह में ही दो करोड़ से अधिक फॉलोअर्स बन गए। प्रारंभ में इसे केवल सोशल मीडिया का बुलबुला माना जा रहा था। जब NEET परीक्षा के पेपर लीक होने के प्रकरण ने जोर पकड़ा तो अभिजीत दीपके, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए 6 जून 2026 को भारत आया और दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रेस को संबोधित किया। कुछ समय देने के बाद भी जब सरकार ने प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया तो कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 जून से जंतर मंतर पर प्रदर्शन आरम्भ कर दिया। इनमें अधिकांश GenZ अर्थात 14 से 29 वर्ष के युवा थे। इनके समर्थन में प्रख्यात शिक्षा विद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठ गये। यहां प्रतिदिन सैकड़ों, हजारों की संख्या में लोग देश के कई भागों से पहुंचने लगे। इसे कई संगठनों और राजनैतिक दलों का समर्थन प्राप्त होने लगा।

छात्रों ने सृजनात्मकता का परिचय देते हुए कई नुक्कड़ नाटक किए, गीत बनाए, मीम बनाए जिनमें मंत्रियों, यहां तक कि प्रधानमंत्री पर भी व्यंग्य किए गए। ये सोशल मीडिया पर खूब चले, हालांकि इस बारे में कोई कवरेज मुख्य धारा के मीडिया (जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है) द्वारा नहीं किया गया।

मामले में बड़ा मोड तब आया जब 18 जुलाई की सुबह सोनम वांगचुक को बलपूर्वक आमरण अनशन से उठाकर अस्पताल में भरती करा दिया। उल्लेखनीय है कि कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक का मार्च निकालने का आव्हान किया गया था। इस दिन पुलिस ने अनशनरत छात्रों पर बहुत बल प्रयोग किया और उन्हें तितर-बितर करने के लिए लाठी चार्ज, आंसू गैस के अलावा 'पेलेट गन' का इस्तेमाल किया गया, हालांकि दिल्ली पुलिस इससे इनकार करती रही। राहुल गांधी एवं कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा इस मुद्दे को मीडिया और संसद में जोर शोर से उठाया गया जिसके कारण संसद नहीं चल पाई। राहुल गांधी द्वारा कई घंटों तक थाने में धरना देने के बाद मजबूरन दिल्ली पुलिस को पेलेट गन संबंधी एफ आई आर दर्ज करनी पड़ी।

जब सरकार को आंदोलन अपने नियंत्रण से बाहर होता दिखा तो सरकार के मंत्रियों ने जे पी नड्डा के नेतृत्व में सी जे पी के नेताओं के साथ वार्ता के बाद एक समझौता 25 जुलाई 2026 को किया। इसके द्वारा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात मानी गई, आंदोलनकारियों पर कोई मुकदमा नहीं करने का आश्वासन दिया गया और दर्ज सभी एफ आई आर को वापस लेने की बात की गई। साथ ही, जिन परिवारों के बच्चों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक के कारण आत्महत्या की, उनको मुआवजा देने के प्रश्न पर भी समझौता हुआ।

समझौते के अनुसार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो तुरंत करवा लिया गया, किंतु अन्य दो मांगों पर विशेष कार्रवाई नहीं हुई तो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्पष्ट फैसले में, संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए सभी एफ आई आर निरस्त करने के आदेश दिए। यह आदेश देश के सभी राज्यों पर लागू किया गया।

कॉकरोच जनता पार्टी के अधिकांश आंदोलनकारी छात्र 'जैन जी' की परिभाषा में आते हैं। इसी प्रदर्शन के दौरान निशु आजाद नाम की 15 वर्षीय दलित छात्रा के पिता संजय कुमार का सिर स्वतंत्र भारद्वाज नामक व्यक्ति ने अपने कड़े के वार से फोड़ दिया था, जिससे, उसके टांके आए। इसके बावजूद पुलिस ने हल्की धाराओं में एफ आई आर दर्ज की और वह कई दिन तक खुला घूमता रहा और शेखी बघारता रहा। न केवल यह, इस घटना के बाद उसने एक पॉडकास्ट में इस सारी घटना को स्वीकार भी किया और कहा कि उसने 'हाफ मर्डर' कर दिया, फिर भी उसके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करने की हिम्मत दिल्ली पुलिस नहीं कर सकी, क्योंकि उसके निकट संपर्क केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा और भाजपा के अन्य बड़े-बड़े लोगों से हैं। उसका यह वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस प्रकरण में भी कॉकरोच जनता पार्टी ने थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और स्वतंत्र भारद्वाज पर एससी एसटी एक्ट और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार करने की मांग की गई। युवा लोगों के बढ़ते आक्रोश के कारण यहां भी अंततः पुलिस को स्वतंत्र भारद्वाज को गिरफ्तार करना पड़ा और उस पर वे सभी धाराएं लगाई गईं, जिनकी सी जे पी मांग कर रही थी।

कुल मिलाकर, गत कुछ समय में जो घटनाएं घटी हैं, उनसे नागरिकों में सरकार से जवाबदेही मांगने की प्रवृत्ति और साहस दोनों में वृद्धि हुई है। जब जवाबदेही सुनिश्चित हो जाएगी तो शासन व्यवस्था में अपने आप सुधार आ जाएगा और वह आम नागरिक के लिए काम करने के लिए मजबूर हो जाएगा। यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। हमें इसका स्वागत करना चाहिए।

इन सारी घटनाओं ने एक बात स्पष्ट कर दी कि सरकार के विरुद्ध बोलने का साहस यदि कोई करे, तो सरकार को भी अंततः झुकना ही पड़ता है। प्रधानमंत्री तक को जेन ज़ी को संबोधित करते हुए कई सेल्फी वाले वीडियो बनाकर रील के रूप में जारी करने पड़े।

इस संदर्भ में एक और प्रकरण का उल्लेख करना उपयुक्त होगा । अप्रैल 2026 में नोएडा में मजदूरों के आंदोलन का समर्थन करने वाली जे एन यू की छात्रा आकृति चौधरी को पुलिस ने कई धाराओं में हिंसा फैलाने के आरोप लगाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। यही नहीं, उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लागू कर दिया। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत किसी को जमानत भी नहीं मिल सकती है।

यह प्रकरण जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया तो वहां के न्यायाधीश अतुल श्रीधरन और अचल सचदेव की खंड पीठ ने एन एस ए की कार्यवाही को एकदम मनमाना और अस्पष्ट मानते हुए रद्द कर दिया। यही नहीं, गलत हिरासत में रखने के लिए आकृति चौधरी को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश भी दिया। जुर्माने की यह राशि नोएडा की जिला मजिस्ट्रेट मेधा रूपम और अन्य अधिकारियों के वेतन से वसूल करने के आदेश दिये। यह उल्लेखनीय है कि मेधा रूपम के पिता ज्ञानेश कुमार गुप्ता, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अतुल श्रीधरन वही न्यायाधीश हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में वहां के मंत्री विजय शाह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश तब दिए थे जब विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था। इस आदेश के तुरंत बाद इनका स्थानांतरण मध्यप्रदेश से इलाहाबाद न्यायालय में कर दिया गया।

इन घटनाओं से यह तो स्पष्ट हो गया है कि नागरिकों ने स्वयं को गुलाम या प्रजा मानने के स्थान पर, वास्तव में नागरिक समझना प्रारंभ कर दिया है। वे सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस दिखाने लगे हैं। इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने का काम कुछ निष्पक्ष और साहसी न्यायाधीशों ने अपने निर्णयों से किया है। स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं, यदि उनसे अपेक्षित कार्य करें, तो आम नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकार का विरोध करने के अधिकार से उन्हें कोई वंचित नहीं कर सकता। बस, केवल कुछ साहस की जरूरत थी, जो कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से लोगों में उत्पन्न होने लगा है।

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवार को मुआवजा दिलाना कॉकरोच जनता पार्टी की बड़ी उपलब्धि नहीं है। किंतु एक काम जो बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हुआ है, वह, यह कि कॉकरोच जनता पार्टी के दिल्ली में जंतर मंतर के प्रदर्शन के बाद, पूरे देश में युवा छात्र और बच्चे तक जिन्हें 'जेन अल्फा' कहा गया है, स्कूल की खराब स्थिति के बारे में खुलेआम बोलने लगे हैं और आंदोलन करने लगे हैं। कई स्थानों पर इसके कारण प्रशासन पर दबाव पड़ा और उन्होंने तुरत फुरत में जर्जर स्कूलों को गिराकर उनके स्थान पर नए स्कूल या कमरे बनाने के लिए न केवल राशि स्वीकृत की, बल्कि उसका काम भी प्रारंभ करवाया। इसी संदर्भ में, पाठकों के लिए यह जानना उपयुक्त होगा कि अभिजीत दीपके ने 15 अगस्त, 2026 से स्कूल ठीक करो अभियान चलाया है। इसके अंतर्गत कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश के अलग-अलग भागों में अपने आसपास के सरकारी स्कूलों की स्थिति को देख रहे हैं और उसके बारे में वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को अवगत करा रहे हैं।

राजस्थान के रामपुरा-कंवरपुरा स्कूल, जो भैंस के तबेले में चल रहा था, वहां सी जे पी के आशुतोष रांका ने जाकर वीडियो बनाने का प्रयास किया तो असामाजिक तत्वों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। इसके बावजूद प्रशासन को इसका संज्ञान लेना पड़ा और स्कूल को तुड़वाकर उसके स्थान पर नया स्कूल बनवाना प्रारंभ किया गया है। ऐसी स्थिति कई जगह सामने आई है जहां बच्चों के और युवाओं के दबाव में सरकार को स्कूलों से संबंधित काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

नागरिकों में सरकार विरोध का अनावश्यक डर निकल जाना एक बहुत बड़ी घटना है, जिसका दूरगामी प्रभाव होगा। कॉकरोच जनता पार्टी, एक नेतृत्व करने वाले ग्रुप के रूप में उभरी है। उन्हें केवल यह संयम बरतना होगा कि वह चुनावी राजनीति में न आए वरना उसका भी वही हश्र होगा जो आम आदमी पार्टी का हुआ।

सरकार को भी यह चाहिए कि वह विभिन्न विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देने का काम करें। वर्तमान में तो स्थिति यहां तक हो गई है कि कोई विश्वविद्यालय यदि किसी ऐसे व्यक्ति को वक्ता रूप में बुला ले जो सरकार की नीति की आलोचना करता हो, तो संभव है, उसकी अनुमति ही नहीं मिले और मिल जाए तो उसे भी निरस्त कर दिया जाए ।

छात्रों की ताकत कितनी है, इसका एक नमूना हैदराबाद के विधि विश्वविद्यालय NALSAR के विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किया, जब उन्होंने विश्विद्यालय प्रशासन को स्पष्ट कर दिया कि वे भारत के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सूर्यकांत से डिग्री नहीं लेंगे और कन्वोकेशन में उन्हें नहीं बुलाया जाए। छात्रों के विरोध के बाद कन्वोकेशन निरस्त कर दिया गया और उन्हे डिग्री वैसे ही दे दी गई। जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आंदोलनकारी छात्रों का पंजीकरण, बार काउंसिल में नहीं करने का आदेश जारी किया तो उसे दो घंटे में ही वापस लेना पड़ा।

इन सारी घटनाओं से यह लगता है कि लोगों में अपनी बात कहने की हिम्मत आई है q और यह भी उन्हें एहसास हो गया है कि यदि वे अपनी बात मनवाने के लिए अहिंसक आंदोलन करेंगे तो सरकार को उनकी बात को मानना पड़ सकता है।

कुल मिलाकर, गत कुछ समय में जो घटनाएं घटी हैं, उनसे नागरिकों में सरकार से जवाबदेही मांगने की प्रवृत्ति और साहस दोनों में वृद्धि हुई है। जब जवाबदेही सुनिश्चित हो जाएगी तो शासन व्यवस्था में अपने आप सुधार आ जाएगा और वह आम नागरिक के लिए काम करने के लिए मजबूर हो जाएगा। यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। हमें इसका स्वागत करना चाहिए। आगे क्या होगा, चुनाव में क्या होगा, यह तो समय बताएगा। फिलहाल हम इतना तो कह ही सकते हैं कि देश का माहौल बदल रहा है।यह बदलाव किस रूप में किस सीमा तक होगा, इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।

-अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत,
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

80 दिन की आचार संहिता और बदलती चुनावी संस्कृतिः राजस्थान ने दिखाई नई राह

अलका सक्सेना

लोकतंत्र में चुनाव जनभागीदारी और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व का सबसे महत्वपूर्ण पर्व हैं। लेकिन चुनावों की प्रक्रिया यदि लगातार चलती रहे और उसका प्रभाव महीनों तक शासन-प्रशासन की सामान्य कार्यप्रणाली पर बना रहे तो उसका सीधा असर विकास की गति पर पड़ता है। राजस्थान जैसे विशाल और भौगोलिक रूप से विविध राज्य में यह चुनौती और भी बड़ी है। ऐसे में स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को एक समन्वित प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ाने का निर्णय केवल चुनावी प्रबंधन का विषय नहीं, बल्कि सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में इस बार स्थानीय लोकतंत्र के इतने बड़े चुनावी दायरे को सीमित अवधि में समेटने का प्रयास हुआ है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि करीब 80 दिन की आचार संहिता की अवधि में 309 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के चुनावी दायित्व को पूरा करने की दिशा में राज्य आगे बढ़ रहा है। इन 309 नगरीय निकायों में 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगरपालिकाएं शामिल हैं तथा 10,245 पार्षद पदों पर चुनाव होना है। साथ ही 41 जिला परिषदों, 457 पंचायत समितियों और 14,403 ग्राम पंचायतों में भी चुनाव हैं।

पिछली बार स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों की प्रक्रिया लगभग 15 महीने तक अलग-अलग चरणों और अलग-अलग समय में चलती रही। इसका अर्थ केवल इतना नहीं था कि राजनीतिक दल लंबे समय तक चुनावी मोड में रहे। इसका बड़ा प्रभाव शासन-प्रशासन पर भी पड़ा। जब चुनाव लगातार अलग-अलग संस्थाओं के लिए होते रहें तो आचार संहिता भी बार-बार लागू होती है या लंबे समय तक प्रभावी रहती है। नई योजनाओं, नीतिगत निर्णयों, विकास कार्यों और प्रशासनिक निर्णयों की गति स्वाभाविक रूप से प्रभावित होती है। यही वह बिंदु है जहां राजस्थान की वर्तमान चुनावी व्यवस्था को प्रशासनिक सुधार के नजरिए से देखने की आवश्यकता है।

किसी भी सरकार के लिए पांच वर्ष का कार्यकाल सुनने में लंबा लगता है, लेकिन यदि स्थानीय निकाय, पंचायत, विधानसभा और अन्य चुनाव अलग-अलग समय पर लगातार सामने आते रहें तो वास्तविक शासन अवधि लगातार कम होती जाती है। चुनाव की घोषणा से लेकर परिणाम और उसके बाद राजनीतिक गतिविधियों तक सरकार और प्रशासन का एक बड़ा हिस्सा चुनावी व्यवस्थाओं में व्यस्त रहता है।

आचार संहिता लोकतांत्रिक निष्पक्षता के लिए आवश्यक है। उसके प्रावधानों का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल या सरकार को अनुचित लाभ से रोकना है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि इसके दौरान नए कार्यों और नीतिगत निर्णयों पर स्वाभाविक रूप से सीमाएं लगती हैं। इसलिए लोकतंत्र की शुचिता और प्रशासन की निरंतरता के बीच संतुलन आवश्यक है। राजस्थान में इस बार चुनावों को अपेक्षाकृत कम समय में संपन्न कराने का प्रयास इसी संतुलन की दिशा में दिखाई देता है। चुनावी प्रक्रिया जितनी समयबद्ध होगी, उतनी ही जल्दी प्रशासन सामान्य कार्यप्रणाली में लौट सकेगा और निर्वाचित स्थानीय संस्थाएं भी अपने दायित्व संभाल सकेंगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से चुनावी प्रक्रिया को अधिक समन्वित और कम विखंडित करने की आवश्यकता पर जोर देते रहे हैं। उनका व्यापक विचार 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की दिशा में चुनावी चक्र को समन्वित करने का है। इसी सोच की राज्य स्तर पर व्यावहारिक अभिव्यक्ति के रूप में राजस्थान में स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों को एक समन्वित चुनावी प्रक्रिया में आगे बढ़ाने की पहल महत्वपूर्ण हो जाती है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चुनावों को एक साथ कराने का जो संकल्प व्यक्त किया था, उसे धरातल पर उतारने की दिशा में यह कदम उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ-साथ प्रशासनिक सोच को भी दर्शाता है। हाल में मुख्यमंत्री ने स्वयं 'वन स्टेट-वन इलेक्शन' को सरकार की उपलब्धि के रूप में रेखांकित किया है। यहां असली महत्व उस सोच का है जिसमें चुनावों को बार-बार होने वाली अलग-अलग प्रशासनिक कवायद के बजाय एक समन्वित प्रक्रिया में बदलने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान का विकास एजेंडा व्यापक है। सड़क, पानी, बिजली, नगरीय आधारभूत ढांचा, ग्रामीण विकास, रोजगार, पर्यटन, औद्योगिक निवेश और सामाजिक कल्याण सहित हर क्षेत्र में निरंतर निर्णय और क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

यदि प्रशासन लंबे समय तक चुनावी दायित्वों में उलझा रहे तो इसका असर केवल सरकारी कार्यालयों तक सीमित नहीं रहता।पुलिस-प्रशासन, राजस्व तंत्र, स्थानीय निकाय, पंचायतें और अन्य विभाग चुनावी प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर लगाए जाते हैं। अधिकारी और कर्मचारी चुनावी जिम्मेदारियां निभाते हैं, संसाधन चुनाव प्रबंधन में लगते हैं और विकास कार्यों की प्राथमिकताएं भी कई बार प्रभावित होती हैं।

इसलिए चुनावों का कम समय में पूरा होना सरकार के लिए 'काम करने की अधिक अवधि' उपलब्ध कराता है। यह उन अतिरिक्त दिनों का अंतर है जिनमें सड़क बन सकती है, परियोजना आगे बढ़ सकती है, निवेश प्रस्ताव पर निर्णय हो सकता है, प्रशासनिक सुधार लागू हो सकता है और जनता से जुड़े किसी काम को गति मिल सकती है।

समयबद्ध चुनावों का लाभ केवल सरकार और प्रशासन को नहीं, बल्कि स्थानीय लोकतंत्र को भी मिलता है। नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाएं आम नागरिक के सबसे करीब की लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं। सड़क, नाली, सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, स्थानीय विकास और ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं जैसे अनेक विषय सीधे इन्हीं संस्थाओं से जुड़े होते हैं।

इसलिए इन संस्थाओं का समय पर गठन लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिए आवश्यक है। चुनाव जितनी जल्दी पूरे होंगे, निर्वाचित प्रतिनिधि उतनी जल्दी अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे और स्थानीय विकास की प्राथमिकताओं पर काम शुरू कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार 309 नगरीय निकायों में चुनाव दो चरणों में कराए जा रहे हैं। यह व्यापक चुनावी कवायद अपने आप में प्रशासनिक समन्वय की बड़ी परीक्षा है। इस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव भी है। लंबे समय तक चुनाव चलते रहने से राजनीतिक दलों की ऊर्जा लगातार चुनावी गतिविधियों में लगी रहती है। कार्यकर्ता, संगठन और नेतृत्व लगातार एक चुनाव से दूसरे चुनाव की तैयारी में जुटे रहते हैं।

यदि स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनाव अपेक्षाकृत कम समय में संपन्न हो जाते हैं तो राजनीतिक दलों को भी अपना ध्यान व्यापक संगठनात्मक और नीतिगत कार्यों पर लगाने का अवसर मिलेगा। चुनाव लोकतंत्र का अनिवार्य हिस्सा हैं, लेकिन लोकतंत्र केवल चुनाव नहीं है। जनता के बीच लगातार उपस्थित रहना, सरकारों के काम का मूल्यांकन करना, संगठन को मजबूत करना और नीतियों पर संवाद करना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि किसी भी चुनावी सुधार की सफलता का आकलन केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि चुनाव कितनी जल्दी हुए। असली कसौटी यह होगी कि चुनाव के बाद निर्वाचित संस्थाएं कितनी प्रभावी ढंग से काम करती हैं और सरकार इस अतिरिक्त प्रशासनिक समय का कितना बेहतर उपयोग करती है।

यदि कम अवधि की आचार संहिता के बाद प्रशासनिक निर्णयों में तेजी आती है, विकास परियोजनाओं की गति बढ़ती है और स्थानीय संस्थाएं समयबद्ध तरीके से अपने दायित्व निभाती हैं, तो यह प्रयोग निश्चित रूप से एक सकारात्मक प्रशासनिक मॉडल बन सकता है।

राजस्थान जैसे बड़े राज्य में चुनावी प्रक्रिया को समयबद्ध करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विकास की आवश्यकताएं व्यापक हैं। सरकार के पास जितना अधिक निर्बाध कार्यकाल होगा, परिणाम देने की अपेक्षा उतनी ही अधिक होगी।

अंततः यह पहल किसी एक दल की जीत या हार से कहीं बड़ी है। चुनाव आएंगे और जाएंगे, राजनीतिक दल सत्ता और विपक्ष की भूमिका में आते-जाते रहेंगे। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और चुनावी चक्र को अधिक व्यवस्थित बनाना दीर्घकालीन लोकतांत्रिक हित में है।

राजस्थान में करीब 80 दिनों के सीमित चुनावी दौर में 309 स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं की चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना उस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। पिछली बार लगभग 15 महीने तक चलने वाली चुनावी प्रक्रिया के अनुभव के मुकाबले यह बदलाव बताता है कि चुनावों को शासन की निरंतरता से जोड़कर देखने की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यापक चुनावी सुधार की सोच और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 'एक साथ चुनाव' के संकल्प के बीच राजस्थान का यह प्रयोग इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसका लक्ष्य अंततः शासन के लिए अधिक निर्बाध समय उपलब्ध कराना है।

लोकतंत्र की ताकत चुनाव से आती है, लेकिन सुशासन की ताकत चुनावों के बीच किए गए काम से तय होती है। यदि राजस्थान चुनावी प्रक्रिया को समयबद्ध करके प्रशासन को अधिक कार्यशील समय दे पाता है, तो यह उस राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत हो सकती है जिसमें चुनाव समय पर हों और सरकार का अधिकतम समय जनसेवा और विकास के लिए हो।

-अलका सक्सेना,
अतिरिक्त निदेशक जनसंपर्क
(सेनि.)

माखन बनाम मक्खन

वीर बहादुर सिंह

भगवान श्री कृष्ण जन्मअष्ठमी का उत्सव आया तो बालस्वरूप भगवान् श्री कृष्ण के प्रिय माखन की याद हो आई और आती भी क्यों नहीं स्वयं जो ठहरा डेरी विशेषज्ञ। वैसे तो मैनें चालीस वर्षों तक अठारह वर्ष से अधिक के छात्रों को डेरी विषय बड़े परिश्रम और लगन से पढ़ाया फिर भी मैं समझता हूँ कतिपय ही मेरी विषय वस्तु के मूल तक पहुंचे हों? ऐसा इसलिए कि छात्र भी वर्तमान में कहीं अधिक चूजी हो गए हैं वे वही याद रखने का यत्न करते हैं जिसकी परीक्षा में पूछे जाने की सम्भावना अधिक होती है। प्रत्युत माखन चूँकि ग्रह उद्योग के स्तर पर अधिकाँश ग्रामीण घरों में ही बनता है उसकी व्यापारिक तौर पर महत्ता फैक्ट्री में बने मक्खन से कम ही आंकी जाती है। वहीं माखन बेचने के लिए कोई संगठित व्यवस्था भी नहीं है, कारण माखन देसी विधि से घी बनाने के लिए एक इंटरमीडिएट पदार्थ है जब की फैक्ट्री में निर्मित मक्खन उसी रूप में बिकता है और खाया भी जाता है। जैसा पूर्व में मैने कहा माखन का निर्माण बहुत ही छोटे स्तर पर होता है और वो भी केवल देसी घी बनाने की प्रक्रिया में एक बीच का स्टेप। तो यह तो रहा दोनों दुग्ध पदार्थों में अंतर जो मूलतः बनाने की विधि तक ही सीमित है हालांकि दोनों पदार्थों के निर्माण से सम्बंधित और भी अनेक कारण रहे होंगे और अभी भी हैं।

लेकिन महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हमारे बाल स्वरुप भगवान को माखन इतना प्रिय क्यों था कि माँ यशोदा को एक मटकी में भर कर ऊंचे से छींके पर टांग कर रखना पड़ता था इसमें यध्यपि अन्य जानवरों आदि से सुरक्षा भी कारण रहे होंगे। वह एक अलग पहलू है। भले ही माँ सुरक्षा की दृष्टि से माखन को टांग कर रखती हो लेकिन कृष्ण जी तो किसी भी उपाय से उस छीके तक पहुँच माखन खुद भी लपकते और अपने मित्रों को भी सहभागी बना लेते ताकि कोई उनकी शिकायत न कर सके। ये सभी शब्द जो मैनें कहे एक बाल सुलभ शैतानिओं या लीलाओं को ही दर्शाते हैं, इससे अलग कुछ भी नहीं।

अब बात करते हैं इन दोनों दुग्ध पदार्थों के भौतिक, रासायनिक और पोषण गुणों की, ऐसा करते समय लेखक का प्रयास होगा माखन पर अपेक्षाकृत अधिक बल जिस पर लोगों का ध्यान कम ही गया है और जिसे लिखा व प्रकाशित भी कम किया गया है। जैसा मैनें बताया कि माखन छोटे स्तर पर अथवा यों कहें ग्रामीण परिवेश के किसान परिवारों में बहुधा घर की कोई महिला बनाती है। श्री कृष्ण की मां यसोदा भी माखन खुद ही बनाती थी ऐसा करते समय कृष्ण जी बहुधा निकट ही कही होते तो मां उस नवीन माखन का एक कौर लल्ला को खिला देती। लल्ला जब और देने की जिद्द करता तो मां नहीं देती। जानती थी अधिक मात्रा हानि कारक हो सकती है। इस परिदृश्य में फिर भक्त सुदामा कृष्ण के पक्ष में बोल पड़ते हैं "मैया कबहि बढ़ेगी छोटी, और मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया ग्वालबाल सब बरवस मुख लिपटायो" आदि-आदि।

...और भी बहुत कुछ। यहाँ मैं पाठकों को बता दूँ कि यह माखन शायद श्रीकृष्ण के काल से पूर्व भी भारत देश में घर-घर में बनता था। और इसी से देसी घी बनाने की विधा पनपी। यह घी आहार के साथ तो खाया ही जाता था इसका एक बड़ा हिस्सा यज्ञ में आहुति देने में प्रयुक्त होता। यह आज भी वैसा ही चलन में है। माखन के निर्माण में दूध कभी उबाला नहीं जाता अपितु बरोसी (चिकनी मिट्टी, कुछ पिली मिट्टी - पोता, को गूथकर एक गहरी थालीनुमा चुलेह का बनाकर धुप में सूखा लिया जाता है। सुखाने पर इसके अंदर गोबर से बनें सूखे उपले जलाकर दूध को एक कुम्हार की बानी हांडी में भरकर गर्म किया जाता है जो कब ही उबलता नहीं अपितु उबलने के ताप से नीचे ही कई घंटे तक छोड़ दिया जाता है। इस क्रिया को वैज्ञानिक भाषा में सिमरिंग कहते हैं। इस क्रिया में दूध के हानिकारक जीवाणु तो नष्ट हो जाते हैं साथ ही दूध के अवयवों से कुछ विशेष तत्व भी पैदा हो जाते हैं। दिन भर सिम्मर किया हुआ दूध ठंडा कर रात को जामन (पूर्व दिवस के दही का एक दो चम्मच) कुछ ठंडी जगह रख दिया जाता है जो भोर तक दही में बदल जाता है। गृहणियां इसी दही को एक नित काम में आने वाले मटके में लेकर लकड़ी की बनी रई (मथनी) से एक छोटी से रस्सी से मटकी के अंदर दही को हाथों से मथा जाता है। कुछ मिनट मथने पर माखन दही दे अलग होता प्रतीत होने लगता है और एक दो मिनट बाद ही माखन का एक लोथ प्राप्त कर लिया जाता है। दो दिन से लेकर पांच-छः दिन का माखन इकठा कर लोहे की कड़ाही में धीमी आंच पर घी में बदल दिया जाता है।

चूँकि मेरा आशय माखन तक ही सीमित है उससे बने घी आदि के बारे में फिर कभी पाठकों को बताऊंगा। तो फिर माखन पर आ जाते हैं, जिसकी निर्माण बिधि आपने पढ़ ली। अब यह भी जान लीजिये कि यह माखन किन किन गुणों में फैक्ट्री में बनें मक्खन से श्रेष्ठ है। देसी विधि से बनें माखन के निर्माण में कोई भी उपकरण फैक्ट्री में नहीं बनता, इसकी विधि में भी गोबर के उपलों के जलने पर प्राप्त ऊर्जा ही काम आती है किसी बायलर, हीटर, स्वचालित मथनी आदि की जरुरत नहीं पड़ती सब कुछ घरेलु सत्तर ग्रामीण परिवेश में सुलभ हो जाता है। देसी माखन में वसा अपेक्षाकृत कम होती है तो पाचन और पोषण में हानिप्रद नहीं है। और सबसे ऊपर छाछ जो प्राप्त होती है उसे विदेशी भले ही उपपदार्थ कहें लेखक के विचार में यह भी एक मुख्य दुग्ध पदार्थ है जिसे गाँव के हर किसान घर में हर सदस्य द्वारा विभिन्न प्रकार से खाया जाता है। इस छाछ में फोस्फो लिपिड्स प्रचुर मात्रा में विध्यमान रहते है जो शरीर के नाड़ी या नर्व प्रणाली के लिए उत्तम है साथ ही पाचन प्रणाली को ठंडक देकर भूंख शांत करने का आभास दिलाती है, और अनेक खनिज और विटामिन से परिपूर्ण होकर पाचन प्रणाली में प्रोबिओटिक जीवाणुओं को स्थापित तो करती ही है अनेक हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट भी कर देती है।

छाछ पीने वालों के शरीर में कभी मोटापा नहीं आता और न कोलेस्ट्रॉल से उपजे हृदय रोग उत्पन्न होते हैं। प्रोबिओटिक, लैक्टिक अम्ल, अन्य पेप्टाइड और कम वसा ऐसे गुण हैं जिनकी बराबरी कोई खाद्य नहीं कर सकता। इलाहाबाद कृषि संस्थान में एक अमेरिकन जेम्स वार्नर कार्यरत थे उन्होंने डैरीइंग इन इंडिया शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की थी। उस समय वे अपने को बहुत काबिल डेरी टीचर मानते थे, उस पुस्तक में उन्होंने देसी घी और उसके निर्माण के संबंधध में अनेक बुराइयां लिखी। दुर्भाग्य ये था तब डेरी शिक्षा व् अनुसन्धान के क्षेत्र में कई विशेषज्ञ देश में थे किसी ने भी उसकी आलोचना नहीं की। केवल मेरे शिक्षक ने उनकी मूर्खता और हट